

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-241/2023 - 204 /पटना, दिनांक- 11.01.2024
प्रेषक,

इफतेखार अहमद,
उप सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के Katihar जिला के Amdabad प्रखंड के Package No- BR16P3R114, MRL12-GOVINDPUR CHOWK TO GOVINDPUR CONSTRUCTION OF HL BRIDGE IN GOVINDPUR CHOWK TO GOVINDPUR ROAD AT CH 0+610KM के पुल की योजना जिनकी लम्बाई-199.04 मी० के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 19.1626 करोड़ रुपये (उन्नीस करोड़ सोलह लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के के द्वारा राज्य के 22 जिलों यथा अररिया, अरवल, बाँका, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा (सारण), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण जिलों में राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत स्वीकृत पथों एवं पुलों के लिए समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-P-17024/4/2019-RC(Part) (eFMS No 368978) दिनांक-06.12.2023 के द्वारा कुल 32 पथों जिनकी लम्बाई 267.663 कि०मी० तथा प्राक्कलित राशि रू० 197.86 करोड़ एवं 417 पुलों जिनकी लम्बाई 17039.079 मी० तथा प्राक्कलित राशि रू० 1571.75 करोड़ पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रू० 1769.61 करोड़ जिसमें केन्द्रांश की राशि रू० 989.71 करोड़ एवं राज्यांश की राशि रू० 779.90 करोड़ है।

इनमें से 15-30.00 करोड़ के लिए Katihar जिला के Amdabad प्रखंड के Package No- BR16P3R114, MRL12-GOVINDPUR CHOWK TO GOVINDPUR CONSTRUCTION OF HL BRIDGE IN GOVINDPUR CHOWK TO GOVINDPUR ROAD AT CH 0+610KM के पुल की योजना जिनकी लम्बाई-199.04 मी0 के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु प्राक्कलित राशि रू0 19.1626 करोड़ रुपये (उन्नीस करोड़ सोलह लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र है, पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3. योजना की विवरणी निम्नवत है :-

PMGSY-III 2023-24 (Batch-1)													
Bridge Proposal													
Sl. No.	District	Division	Block	Package Number	Bridge Name	Length (in mt)	MoRD Share (in Lakhs)	State Share Excluding Higher Specification (in Lakhs)	Higher Specification Cost (in Lakhs)	State Share including Higher Specification (in Lakhs)	Total Cost (in Lakhs)	Maintenance Cost (in Lakhs)	Total Cost with maintenance (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Katihar	Manihari	Amdabad	BR16P3R114	MRL12-GOVINDPUR CHOWK TO GOVINDPUR CONSTRUCTION OF HL BRIDGE IN GOVINDPUR CHOWK TO GOVINDPUR ROAD AT CH 0+610KM	199.04	863.67	575.78	470.60	1046.38	1910.05	6.21	1916.26

उपरोक्त योजना जिसकी लम्बाई 199.04 मी0 जिसमें राज्यांश की राशि रू0 10.4638 करोड़ रुपये की होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा अनुरक्षण की राशि रू0 0.0621 करोड़ रुपये होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी। विभाग के लिए शीर्ष 3054 के तहत प्रावधानित बजटीय उपबंध से अनुरक्षण कार्य के लिए कर्णांकित राशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के वर्ष 2023-24 (Batch-I) के अन्तर्गत Programme fund से कार्यान्वित की जाने वाली इन योजनाओं के लिए अनुरक्षण हेतु निर्धारित अवधि 05 साल है।

4. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 103 ग्राम विकास उपशीर्ष 0216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) केन्द्रांश मद (विपत्र कोड-37-4515-00-103-0216), व्यय के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 880.00 करोड़ रू0 का बजट उपबंध है।

5. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 103 ग्राम विकास उपशीर्ष 0316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) राज्यांश मद (विपत्र कोड-37-4515-00-103-0316), व्यय के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 900.00 करोड़ रू0 का बजट उपबंध है।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054- सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला एवं अन्य सड़क लघुशीर्ष 105 रखरखाव तथा मरम्मत उपशीर्ष 0001 अनुरक्षण मद (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001), हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4000.00 करोड़ रु० का बजट उपबंध है।

7. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत (विपत्र कोड-37-4515-00-789-0201), एवं विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 600.00 करोड़ रु० का बजट उपबंध है।

8. इस प्रकार उपर्युक्त योजना के लिए कुल राशि रु० 19.1626 करोड़ में से राज्यांश की राशि रु० 10.4638 करोड़ है, एवं केन्द्रांश की राशि रु० 8.6367 करोड़ है। राज्यांश की राशि विभाग के योजना शीर्ष 4515 के अन्तर्गत प्राप्त की गयी राशि से भारित होगी। रु० 0.0621 करोड़ रुपये की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

9. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

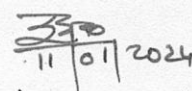
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

11. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष-4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के दिशा-निर्देश की कंडिका-5.9 के आलोक में LWE जिलों में 200 मी० तक तथा अन्य जिलों में 150 मी० तक लम्बाई के पुलों के निर्माण लिए व्यय भारत सरकार द्वारा किया जाना है तथा इससे अधिक लम्बाई के लिए Pro-rata के आधार पर पूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। भारत सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि, वर्तमान में 60:40 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा।



12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
16. इस योजना के लिए सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-241/2023 के पृ0-20/टि0 पर दिनांक-15.12.2023 एवं पृ0-34/टि0 पर दिनांक-08.01.2024 को प्राप्त है।
17. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2), दिनांक-15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु०अ०-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-241/2023 पृ0-34-35/प0 पर दिनांक-12.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(इफतेखार अहमद)
उप सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-241/2023 - 204 /पटना, दिनांक-11.01.2024
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

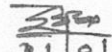

उप सचिव



ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-241/2023 - 204 /पटना, दिनांक- 11.01.2024

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/ संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (ग्रा0), ग्रा0 का0 वि0/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।




11/01/2024
उप सचिव

